कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र. 1798 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 भोपाल, दिनांक 19 /08/2020

प्रति,

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक,
   नाप-तौल, मध्यप्रदेश

2. समस्त निरीक्षक,
   नाप-तौल, मध्यप्रदेश

विषय :- पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता पंजीयन का नवीनीकरण ।

- - - - - 00 - - - - -

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, इन नियमों में इन पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं है। जिसके आवेदन mpedistrict पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाकर ऑनलाईन ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

स्पष्ट है कि पैकबंद वस्तुओं के पैककर्ता/ निर्माणकर्ता/ आयातकर्ता का एक ही बार पंजीयन होता है इसका नवीनीकरण नहीं होता है। यदि इसके नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन आते हैं तो उन्हें इस स्थिति से अवगत करावें ।

S. Jain

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल, म.प्र. भोपाल

D:\SHIVBHANU SINGH\Office work\Enforcement\Ease of Doing Business\Ease of doing buisness.doc

(ख) कोई भी पैकेज जिसमें रेस्तरां/होटल या सदृश्य द्वारा द्रुत खाद्य सामग्री पैकी गई हो;

(ग) इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन किए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित विनिर्मितियां और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियां हैं;

(घ) 50 कि0 ग्राम से ऊपर के पैकेजों में कृषि फार्म उपज।

अध्याय- VI
विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण

27. विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण –

(1) प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, हिन्दु अविभक्त परिवार, सोसाइटी, कंपनी या निगम, वह या जो विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु को पहले से पैक करता है या आयात करता है तो वह अपने या उसके नाम और पूरे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को पाँच सौ रुपये की फीस सहित एक आवेदन देगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन-

(i) यदि कोई आवेदक इस नियम के लागू होते समय पूर्व पैकिंग करता है या कोई वस्तु आयात करता है, तो नियम के लागू होने के 90 दिनों के भीतर, या
(ii) यदि कोई आवेदक, वह या जो इस नियम के लागू होने के उपरान्त किसी वस्तु का पूर्व पैकिंग या आयात शुरू करता है तो पूर्व पैकिंग प्रारम्भ करने से 90 दिन की अवधि में,

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:-

(क) आवेदक का नाम;

(ख) उस परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा एक या अधिक वस्तुओं का पूर्व पैकिंग या आयात किया जाता है; और

(ग) आवेदक द्वारा पूर्व पैक की गई या आयात की गई वस्तु या वस्तुओं के नाम।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम में "पूरा पता" का वही अर्थ है जो नियम 10 के उपनियम (i) के स्पष्टीकरण में है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी प्रकार से किए गए परिवर्तन पर, निदेशक या नियंत्रक को संबंधित विनिर्माता या पैकर या आयातक को सौ रुपए के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

(4) उप नियम (1) के तहत बने आवेदन की प्राप्ति पर निदेशक या नियंत्रक जो भी पंजीकरण प्राधिकारी होगा, को--

(क) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण नहीं हो तो आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 7 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर उसी आवेदक को वापिस भेज दी जाएगी;

(ख) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हो तो आवेदक को दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा।

28. **छोटे पते का पंजीकरण अनुज्ञेय होना** – (1) विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह नियम 27 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पूरे करने के अतिरिक्त छोटे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को आवेदन दे।

(2) निदेशक या नियंत्रक यदि यह जांच करने के पश्चात कि छोटे पते से भी उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनिर्माता या पैकर की पहचान करना पर्याप्त रूप से संभव होगा, ऐसे छोटे पते का पंजीकरण कर सकता है।

(3) जां निदेशक या नियंत्रक द्वारा छोटे पते का पंजीकरण किया जाए वहां विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह उसके द्वारा पूर्व पैक की गई प्रत्येक वस्तु के लेबल पर ऐसे छोटे पते का उल्लेख करे।

29. **विनिर्माताओं और पैकरों आदि का पंजीकरण** –

(1) निदेशक या नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक विनिर्माता या पैकर का नाम और पूरा पता प्रविष्ट करेगा जिसमें नियम 27 के अधीन ऐसे पंजीकरण के लिए उसके पास आवेदन किया हो।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए निशुल्क खुला रहेगा।

30. **विनिर्माताओं या पैकरों की सूचियों का संकलन और उनका परिचालन** – निदेशक या नियंत्रक, नियम 29 के अधीन उसके द्वारा पंजीकृत सभी विनिर्माताओं और पैकरों की राज्यवार सूची संकलित करेगा और ऐसी सूची संबंधित राज्य के नियंत्रक को भेजेगा जिससे कि नियंत्रक विनिर्माता के परिसर पर अथवा जहां विनिर्माता पैकर नहीं हैं वहां पैकर के परिसर से नमूना लेने में या लिए जाने में समर्थ हो सके।

अध्याय VII
सामान्य

31. (i)– कोई भी विज्ञापन जिसमें पूर्व पैक वस्तु के थोक विक्रय मूल्य का निर्देश हो उसमें शुद्ध मात्रा या पैकेज में उपस्थित वस्तुओं की संख्या की घोषणा भी होनी चाहिए।